न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 130/2014

प्रकाशचन्द्र पिता श्री कचरूलाल जी धाकड़ आयु 35 वर्ष निवासी मंडावरी, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज. ..... वादी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पिता श्री देवीलाल जी जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी मेघपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2. श्री देबीलाल पिता श्री हीराजी धाकड़ आयु बालिग निवासी मेघपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3. श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

... प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री एस.सी. टेलर
अधिवक्ता वादी
श्री बी.के. भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 10.04.2017

निर्णय दावा अ0धा0 53 राज0 काश्त0 अधि0

वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मेघपुरा, पटवार हल्का बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी हक से निम्न कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में दर्ज है :–

आराजी संख्या	क्षेत्रफल
18	1.2950 है0

उक्त कृषि आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा आदि को लेकर विवाद होने से वादी उक्त आराजी का मीट्स एंड बाउंड के आधार पर अपने–अपने हिस्से का विभाजन कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.09.2014 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन करा लेने की कहने पर प्रतिवादीगण के नहीं आने से वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वादी उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में एवं मौके पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है।

वादी द्वारा निम्न अनुतोष की प्रार्थना की गयी है :–

मौजा मेघपुरा प.ह. मेघपुरा, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान की कृषि आ.सं. 18 रकबा 1.2950 है0 का 1/3 हिस्सा वादी का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर–बराबर रेवेन्यु रेकार्ड एवं मौके पर मीट्स एवं बाउंड के आधार पर विभाजन किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध फरमायी जावे।

वादव्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को दिलाया जावे।

अन्य कोई अनुतोष जो वादी को सुलभ हो प्रदान किया जावे।

प्रकरण हमारे द्वारा अवलोकन किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत किया गया :–

विशेष कथन :–

प्रतिवादी संख्या 1 को गाम मेघपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की खाता संख्या 72 खसरा संख्या 18 रकबा 1.2950 है0 भूमि उसके भाई जमनालाल पिता हीरालाल द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 16.01.2006 को 30,000 रुपये नकद प्राप्त कर विक्रय कर दिया था। इस हेतु एक अनुबंध पत्र भी जमनालाल द्वारा निष्पादित कर प्रतिवादी संख्या 1 को दिया था। उक्त दिनांक से ही इस कलम संख्या में अंकित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा हो काश्त कर रहा है।

उक्त जमनालाल के मन में बदनीयति आ जाने से उसने एक नुमाइशी विक्रय पत्र वादी के पक्ष में दिनांक 25.06.2014 को पंजीकृत करा दिया। प्रतिवादी को उक्त जानकारी होने पर प्रतिवादी ने वादी व जमनालाल के विरुद्ध अंतर्गत धारा 420, 406 में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बेगूँ में दर्ज करायी जिसके प्रकरण संख्या 223/14 थाना बेगूँ होकर जमनालाल के विरुद्ध माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. साहब बेगूँ में चालान पेश हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त नुमाइशी, शून्य विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय (क.ख.) बेगूँ के यहाँ एक वाद पत्र निरस्तीकरण विक्रय पत्र अनुबंध की पालना व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके प्रकरण संख्या 21/14 सी.ओ. होकर प्रकरण में स्वयं वादी व जमनालाल की ओर से जवाब वाद पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है।

वाद वर्णित भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है न ही विक्रेता जमनालाल का दिनांक 16/01/2006 के बाद कोई कब्जा रहा है। वादी उक्त वाद पत्र के सहारे भूमि पर कब्जा करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी व जमनालाल के विरुद्ध दिनांक 08.08.2014 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी तो दिनांक 15.09.2014 को वादी द्वारा बंटवारे हेतु कहने एवं उक्त दिनांक को वाद कारण दर्शाने का कथन अपने आपमें ही मिथ्या साबित होता है एवं वाद कारण के अभाव में वादी वादी खारिज होने योग्य है।

क्रमश : 2

वाद पत्र में माननीय राजस्थान सरकार, जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं घोषणा भी नहीं चाही गयी है जिससे भी वाद वादी खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर मेघपुरा में दिनांक 01.06.2016 को रखाया गया एवं दोनो पक्षों को सुना जाकर आपसी समझाइश की जाकर निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी :–

"अतः वाद वादी का अ0धा053 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा मेघपुरा की आराजी संख्या 18 रकबा 1.2950 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 अनुसार मीट्स एंड बाउंड को ध्यान में रखकर आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार कब्जे को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रुपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर एक प्रति तहसीलदार बेगूँ को भिजवायी जावे एवं मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करा मय नक्शा ट्रेस के साथ दो प्रतियों में तलब किया जावे।"

पत्रावली में उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्र क्रमांक/सरिश्ता/2016/498 दिनांक 06.06.2016 से प्राथमिक डिक्री भिजवाते हुए आराजी की फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की गयी, जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/435 दिनांक 10.04.2017 को फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के साथ भिजवायी गयी। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी को सुना गया, जिन्होंने प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताया है, जिससे वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मुताबिक फर्द रिपोर्ट मौजा मेघपुरा की आराजी संख्या 18 रकबा 1.2950 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है :–

1 वादी श्री प्रकाशचंद्र पिता कचरूलाल धाकड़ निवासी मंडावरी खातेदार के खाते :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
18 में से	0.432 है0	1.08
कुल किता–1	0.432 है0	1.08

2 प्रतिवादी संख्या 1 श्री जगन्नाथ पिता हीरा धाकड़ निवासी मेघपुरा खातेदार रहन ग्रा.से.स. समिति राजगढ तालाब :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
18 में से	0.431 है0	1.08
कुल किता–1	0.431 है0	1.08

3 प्रतिवादी संख्या 2 श्री देवीलाल पिता हीरा की मृत्यु होने से उनकी वैध वारिस उनकी पत्नी फोरी बाई ~~पिता~~ पत्नि स्व देवी लाल धाकड़ निवासी मेघपुरा खातेदार रहन ग्रा.से.स. समिति राजगढ़ तालाब :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
18 में से	0.432 है0	1.08
कुल किता–1	0.432 है0	1.08

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य बंटवारा अनुसार खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ